

05- 905/20

3/2

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०)कक्ष संख्या 15 सुलतानपुर



अनवरी आयु लगभग 26 साल पत्नी इमरान साकिन शाहपुर
सरकण्डेडीह परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर

.....वादिनी

बनाम

- 1- दिलावर अली आयु लगभग 60 साल वल्द मरहूम मो० अमीन
- 2- इमरान आयु लगभग 26 साल सुत दिलावर अली
- 3- नफीसा आयु लगभग 30 साल पत्नी इरसाद
- 4- इरसाद आयु लगभग 35 साल सुल दिलावर अली

साकिनान शाहपुर सरकण्डेडीह परगना मीरानपुर तहसील सदर
जिला सुलतानपुर. प्रतिवादीगण

दावा स्थायी व्यादेश

मूलवाद संख्या - सन 2020

श्रीमानजी,

प्रार्थिनी निम्न प्रकार विनयी है :-

धारा 1:- यह कि वादिनी ग्राम शाहपुर सरकण्डेडीह परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर की बसिलसिले पूर्वजान स्थायी निवासी है और प्रतिवादीगण भी इसी पते के स्थायी निवासी है और एक ही परिवार के है सबका घर दुआर खेत वारी आदि इसी गांव में कायमी पूर्वजान कायम चला आ रहा है और आज भी है ।

धारा 2:- यह कि वादिनी प्रतिवादी संख्या 1 की बहू है और प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नी है और प्रतिवादी संख्या 2 सऊदिया में कमाता है तथा प्रतिवादी संख्या 4 भी सऊदिया में कमाता है तथा प्रतिवादिनी संख्या 3 वाग्ने में अपना इलाज करवा रही है ।


न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्षा संख्या 15 जनपद सुलतानपुर
अनवरी - बनाम- दिलावल अली आदि सा०वा० सं०- सन 2020 ई०

धारा 3:- यह कि वादिनी के पति व देवर प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ने अपनी कमाई से गांव में एक अच्छा पक्का मकान का निर्माण करवाया है जिसमें वादिनी प्रतिवादी आदि सब रहते हैं और आज भी रह रहे हैं।

धारा 4:- यह कि निर्मित मकान की चौहददी पूरब- खेत अजय कुमार व चकमार्ग, पश्चिम- हाजी सदर, उत्तर - मुमताज अली, दक्षिण- दिलावर के बीच कायम है जिसमें पूरा परिवार रह रहा है।

धारा 5:- यह कि उपरोक्त मकान को वादपत्र के साथ एक नक्शानजरी दी जा रही है जिसमें बरंग सुर्ख अक्षर अ ब स द से प्रदर्शित किया गया है जो वादपत्र का अभिन्न अंग है।

धारा 6:- यह कि विवादित जायदाद वादी के पूर्वज महबूब के समय से कायम चली आ रही है प्रतिवादी संख्या 1 की एक भी धुर बनायी जमीन नहीं है इसलिए नीचे वादपत्र को समझने के लिए निम्न बंशावली दी जा रही है :-



उपरोक्त बंशावली से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण जायदाद पूर्वज महबूब अली की बनायी हुई है।

धारा 7:- यह कि प्रतिवादी संख्या 1 काफी अइयास किस्म का ब्यक्ति है जो मेरे जेठ इमरान की पत्नी के आने के बाद उससे सम्पर्क बनाना चाहा जिस पर बड़ा गदर हुआ तो उसको काफी मारा पीटा जिसकी दवा आज भी वह बाम्बे में करवा रही है।

धारा 8:- यह कि प्रतिवादी संख्या 1 जब अपने मंसूबा में इमरान की पत्नी पर कामयाब नहीं हुआ तो वह मुझ बादिनी पर अपनी गलत करतूत को अपनाना शुरू किया जिस पर वादिनी के बीच थाना पुलिस तक की नौवत आ गयी और दोनों के बीच काफी विवाद हुआ।

धारा 9:- यह कि इमरान व इरसाद द्वारा अपना अपना हक हिस्सा लेकर उररी घर में प्रतिवादी संख्या 1 से अलग कर लिया और उस पर

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्रोव्द) कक्ष संख्या 15 जलपद सुततानपुर
अनवरी - बनारस- दिलावर अली आदि सा0वा0 सं0- सन 2020 ई0

काबिज दखील होकर अपने परिवार के साथ जीवन यापन करना शुरू कर दिया ।

धारा 10:- यह कि प्रतिवादी संख्या 1 अब बराबर धमकी देता है कि यदि हमारी नहीं सुनोगी तो सारी जायदाद सलमान को दे दूंगा और घर से तुमको निकाल दूंगा जिस पर गांव विरादरी के लोग भी काफी डांटा फटकारा फिर भी अपनी नीचता व विक्रय करने व वसीयत करने की धमकी से वाज नहीं आता है ।

धारा 11:- यह कि प्रतिवादी संख्या 2 व 4 सऊदिया में होने व प्रतिवादी संख्या 3 अपने इलाज के सिलसिले में बाम्बे में होने के कारण दावे में शामिल सरीक नहीं हो पा रही है और यह दावा उनके भी हित के लिए है जिससे उनको प्रोफार्मा डिफेन्डेंट बनाया जा रहा है ।

धारा 12:- यह कि वाद का कारण बमाह जुलाई अन्तिम सप्ताह दिनांक 31.8.20

वावत देने धमकी कर देने बेदखल व देने धमकी कर देने बेघर व देने धमकी कर देने वसीयत वैनामा नीज वाद न्यायालय श्रीमानजी के अधिकार सीमा के अन्तर्गत उत्पन्न हुआ जिसकी सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमानजी को ही है ।

धारा 13:- यह कि वाद की मालियत वावत मकान व खेती 10,00000/- रूपया (दस लाख रूपया) से कम नहीं है यही वाद की मालियत नियत की जाती है चूंकि दावा स्थायी ब्यादेश का है इसलिए मुवलिंग 10,00000/-रूपया का 1/5 भाग मुवलिंग 200000 / - रूपया पर अधिकतम न्यायशुल्क मुवलिंग 500/-रूपया की अदा की जाती है ।

याचना

(अ):- डिक्री स्थायी व्यादेश बहक वादिनी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 को हमेशा हमेशा के लिए मना कर दिया जावे कि वह वादिनी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के रहाईश व जीविकोपार्जन की जमीन जो वादिनी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के हक हकूक में है उस पर किसी प्रकार से न तो हस्तक्षेप करें न ही बर्बाद करे न ही उसको किसी के पक्ष में विक्रय करें और न ही कोई ऐसा कार्य करे जिससे वादिनी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के कब्जा व दखल उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत पैदा हो ।

(ब):- खर्चा मुकदमा वादिनी को प्रतिवादी संख्या 1 से दिलाया जावे ।

321/5

(स)- अन्य याचना जो वादिनी को खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 न्यायालय उचित समझे प्रदान करें ।

सराहत जायदाद निजाई मकान नम्बर 563 चौहददी उत्तर मुमताज अली, दक्षिण- दिलावल अली, पूरब- खेत अजय कुमार व चकरोड, पश्चिम- हाजी, सदर


चक संख्या 1 पुराना नम्बर 3492 मि० में से नया नम्बर 1384 साकिन शाहपुर सरकण्डेडीह परगना मीरानपुर तहसील व जिला सुलतानपुर वतौर हिस्सा कब्जा

चक संख्या 2- पुराना नम्बर 1333 मि० में से नया नम्बर 636 साकिन द्विकौरा परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर वतौर हिस्सा कब्जा

प्रार्थिनी:-

अनवरीवादिनी

द्वारा

अधिवक्ता 

दिनांक

31 जनवरी

मैं वादिनी स्वयं तसदीक करती हूँ कि वाद पत्र की धारा 1 ता 12 मेरे निजी ज्ञान से सही व सच है । धारा 13 व याचना को सही होने में बिश्वास करती हूँ इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और न कुछ झूठ है खुदा मेरी मदद करें तसदीक मुकाम दीवानी अहाता जनपद सुलतानपुर


तसदीक दिनांक

31 जनवरी


न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्रथम) कक्षा संख्या 15 जनपद सुलतानपुर
अनवरी - वनाम- दिलावल अली आदि सा०वा० सं०- सन 2020 ई०

साधारण नामक सिंचन (प्रो.वठ) कार्य संख्या 15 सुकुल

३५/६



जामशा-नजरी



साधारण नामक सिंचन प्रो.वठ ५० संख्या १५ सुकुल
 अनवरी — दिनावर

दिनावर माल

कारावणी
 दिनावर
 २५.८.२०

साधारण
 अनवरी
 वादीव
 अनवरी

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं०-15
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या-

905/20

20

बनाम

अनारज

Deewan

दिनांक 25/8/20

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत हुआ ।
अवलोकित । अंगीकरण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो ।

आदेश

मूलवाद के रूप में पंजीकृत हो । वाद दिनांक 25/9/20 को
वास्ते बयान तहरीरी एवं दिनांक 08/10/20 को वास्ते बिरचित किये जाने
वादविन्दु पेश हो । विपक्षी को सम्मन जारी हो वादी पैरवी तीन दिन में करे ।

सिविल जज(प्रवर खण्ड),

कक्ष सं०-15 सुलतानपुर

5ग2 प्रार्थनापत्र हुकुम इम्तिनाई चन्द्रोजा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2
जा०दी० ।

6ग2 शपथपत्र ।

7ग2 प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा०दी० प्रस्तुत किया
गया ।

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या-15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या-905/2020
अनवरी ----- बनाम ----- दिलावर आदि।

202
2

दिनांक-25.08.2020

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादिनी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुत्तर हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादिनी विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षी रूप से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादिनी द्वारा वाद भूमि दर्शित अक्षर अ, व, स, द नक्शा वाद पत्र में अपना पारिवारिक मकान होना कहा है। विवादित जायदाद वादी के पूर्वज महबूब के समय से कायम चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 01 की एक भी धुर बनायी जमीन नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 काफ़ी अग़ायरा किरम का व्यक्ति है। वह वादिनी को बराबर धमकी दे रहा है कि उसे सम्पूर्ण जायदाद से बेदखल कर घर से निकाल देगा। प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य उल्लेख स्वतन्त्री, परिवार रजिस्टर, भूचित्र की छायाप्रति आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद में विवादित आराजीयात गाटा संख्या 1384 व 636 प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजरव अभिलेख में दर्ज है। वह विवादित मकान संख्या 563 प्रतिवादी संख्या 01 की पत्नी के नाम दर्ज है। अतः ऐसे में मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 01 को सुना जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित किया जाता है। पत्रावली वारते निरस्तारण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 25.09.2020 को पेश हो।

25.08.20

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं०-15
सुलतानपुर।

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अमीन को वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उभयपक्ष को सुचित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

27.08.20

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं०-15
सुलतानपुर।

न्यायालय सिविल जज (प्र० ख०)- कक्ष संख्या-15, सुलतानपुर

मूल वाद संख्या-905/2020

अनवरी-बनाम-दिलावर अली आदि।

दिनांक-26.08.2020

प्रार्थना पत्र दिनांकित 26.08.2020 अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1- जा० दी० वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में प्रार्थिनी वादिनी है और वाद उक्त में कुछ आवश्यक व कानूनी कमी रह गयी है जिसको उठाकर ही दुरुस्त किया जा सकता है जो जरूर तरगीम संभन नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा मुकदमा उठाना न्यायहित में आवश्यक है।

सुना पत्रावली का अवलोकन किया। वादिनी द्वारा प्रस्तुत दावे में कुछ आवश्यक व कानूनी कमी होने के कारण वादिनी मुकदमा वाद वापस लेना तथा पुनः वाद संस्थित करने की अनुमति चाहती है। अतः ऐसे में प्रार्थना पत्र वादिनी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र दिनांकित 26.08.2020 स्वीकार किया जाता है। वादिनी को पुनः वाद संस्थित करने की अनुमति के साथ दावा उठाने की अनुमति दिया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर करे।

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष संख्या-15,
सुलतानपुर।

05 962/20

25/11/20

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0ख0)कक्ष संख्या 15 सुलतानपुर



अनवरी आयु लगभग 26 साल पत्नी इमरान साकिन शाहपुर
सरकण्डेडीह परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर

.....वादिनी

बनाम

- 1- दिलावर अली आयु लगभग 60 साल वल्द मरहूम मो0 अमीन
- 2- इमरान आयु लगभग 26 साल सुत दिलावर अली
- 3- नफीसा आयु लगभग 30 साल पत्नी इरसाद
- 4- इरसाद आयु लगभग 35 साल सुल दिलावर अली

साकिनान शाहपुर सरकण्डेडीह परगना मीरानपुर तहसील सदर
जिला सुलतानपुर

..... प्रतिवादीगण

दावा स्थायी व्यादेश

मूलवाद संख्या - सन 2020

श्रीमानजी,

प्रार्थिनी निम्न प्रकार विनयी है :-

धारा 1:- यह कि वादिनी ग्राम शाहपुर सरकण्डेडीह परगना मीरानपुर
तहसील सदर जिला सुलतानपुर की बसिलसिले पूर्वजान स्थायी
निवासी है और प्रतिवादीगण भी इसी पते के स्थायी निवासी है और

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0ख0) कक्ष संख्या 15 जनपद सुलतानपुर
अनवरी - बनाम- दिलावर अली आदि सा0वा0 सं0- सन 2020 ई0


23/3

एक ही परिवार के हैं सबका घर दुआर खेत बारी आदि इसी गांव में कायमी पूर्वजान कायम चला आ रहा है और आज भी है ।

धारा 2:- यह कि वादिनी प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नी है और प्रतिवादी संख्या 2 सऊदिया में कमाता है तथा प्रतिवादी संख्या 4 भी सऊदिया में कमाता है तथा प्रतिवादिनी संख्या 3 बाम्बे में अपना इलाज करवा रही है ।

धारा 3:- यह कि वादिनी के पति व जेठ प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ने अपनी कमाई से गांव में एक अच्छा पक्का मकान का निर्माण करवाया है जिसमें वादिनी प्रतिवादी आदि सब रहते हैं और आज भी रह रहे हैं ।

धारा 4:- मृतक जैल तरीक रो बाद पत्न को समझने के लिए एक वंशावली दी जा रही है जो निम्न प्रकार है:-



धारा 7:- यह कि प्रतिवादी संख्या 1 जब अपने मंसूबा में इमरान की पत्नी पर कामयाब नहीं हुआ तो वह मुझ वादिनी पर अपनी गलत करतूत को अपनाना शुरू किया जिस पर वादिनी के बीच थाना पुलिस तक की नौवत आ गयी और दोनों के बीच काफी विवाद हुआ ।

धारा 8:- यह कि इमरान व इरसाद द्वारा अपना अपना हक हिस्सा लेकर उसी घर में प्रतिवादी संख्या 1 से अलग कर लिया और उस पर

एक ही परिवार के है सबका घर दुआर खेत बारी आदि इसी गांव में कायमी पूर्वजान कायम चला आ रहा है और आज भी है ।

धारा 2:- यह कि वादिनी प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नी है और प्रतिवादी संख्या 2 सऊदिया में कमाता है तथा प्रतिवादी संख्या 4 भी सऊदिया में कमाता है तथा प्रतिवादिनी संख्या 3 बाम्बे में अपना इलाज करवा रही है ।

धारा 3:- यह कि वादिनी के पति व जेठ प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ने अपनी कमाई से गांव में एक अच्छा पक्का मकान का निर्माण करवाया है जिसमें वादिनी प्रतिवादी आदि सब रहते है और आज भी रह रहे है ।

धारा 4:- यह कि निर्मित मकान की चौहददी पूरब- खेत अजय कुमार व चकमार्ग, पश्चिम- हाजी सदर , उत्तर - मुमताज अली, दक्षिण- दिलावर के बीच कायम है जिसमें पूरा परिवार रह रहा है ।

धारा 5:- यह कि उपरोक्त मकान को वादपत्र के साथ एक नक्शानजरी दी जा रही है जिसमें बरंग सुर्ख अक्षर अ ब स द से प्रदर्शित किया गया है जो वादपत्र का अभिन्न अंग है ।

धारा 6:- यह कि प्रतिवादी संख्या 1 काफी अइयास किस्म का ब्यक्ति है जो मेरे जेठ इमरान की पत्नी के आने के बाद उससे सम्पर्क बनाना चाहा जिस पर बड़ा गदर हुआ तो उसको काफी मारा पीटा जिसकी दवा आज भी वह बाम्बे में करवा रही है ।

धारा 7:- यह कि प्रतिवादी संख्या 1 जब अपने मंसूबा में इमरान की पत्नी पर कामयाब नहीं हुआ तो वह मुझ वादिनी पर अपनी गलत करतूत को अपनाना शुरू किया जिस पर वादिनी के बीच थाना पुलिस तक की नौवत आ गयी और दोनों के बीच काफी विवाद हुआ ।

धारा 8:- यह कि इमरान व इरशाद द्वारा अपना अपना एक हिस्सा लेकर उसी घर में प्रतिवादी संख्या 1 से अलग कर लिया और उस पर

32/4

काबिज दखील होकर अपने परिवार के साथ जीवन यापन करना शुरू कर दिया। और आज भी कर रहे है।

धारा 9:- यह कि प्रतिवादी संख्या 1 अब बराबर धमकी देता है कि यदि हमारी नहीं सुनोगी तो सारी जायदाद सलमान को दे दूंगा और घर से तुमको निकाल दूंगा जिस पर गांव विरादरी के लोग भी काफी डांटा फटकारा फिर भी अपनी नीचता व विक्रय करने व वसीयत करने की धमकी से वाज नहीं आता है।

धारा 10:- यह कि प्रतिवादी संख्या 2 व 4 सऊदिया में होने व प्रतिवादी संख्या 3 अपने इलाज के सिलसिले में बाम्बे में होने के कारण दावे में सामिल सरीक नहीं हो पा रही है और यह दावा उनके भी हित के लिए है जिससे उनको प्रोफार्मा डिफेन्डेण्ट बनाया जा रहा है।

धारा 11:- यह कि वाद का कारण बमाह अगस्त तृतीय सप्ताह दिनांक 26.08.2020 ई0 वाकत देने धमकी कर देने बेदखल व देने धमकी कर देने बेघर व देने धमकी कर देने हकूक के नीज वाद न्यायालय श्रीमानजी के अधिकार सीमा के अन्तर्गत उत्पन्न हुआ जिसकी सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमानजी को ही है।

धारा 12:- यह कि वाद की मालियत वावत मकान व खेती 10,00000/- रूपया (दस लाख रूपया) से कम नहीं है यही वाद की मालियत नियत की जाती है चूंकि दावा स्थायी ब्यादेश का है इसलिए मुवलिंग 10,00000/-रूपया का 1/5 भाग मुवलिंग 200000 / - रूपया पर अधिकतम न्यायशुल्क मुवलिंग 500/-रूपया की अदा की जाती है।

याचना

(अ):- डिक््री स्थायी व्यादेश बहक वादिनी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 को हमेशा हमेशा के लिए मना कर दिया जावे कि वह वादिनी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के रहाईश व हक हकूक में

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्रोबो) कस संख्या 15 जनपद सुलतानपुर
अनवरी - बनारस - दिलावर अली आदि साधवा सं- सन 2020 ई0

34/5

है उस पर किसी प्रकार से न तो हस्तक्षेप करें न ही बर्बाद करे न ही उसको किसी के मक्ष में विक्रय करे और न ही कोई ऐसा कार्य करे जिससे वादिनी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के कब्जा व दखल उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की भदाखलत पैदा हो ।

(ब):- खर्चा मुकदमा वादिनी को प्रतिवादी संख्या 1 से दिलाया जावे ।

(स):- अन्य याचना जो वादिनी को खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 न्यायालय उचित समझे प्रदान करें ।

प्रोव्डो) कक्ष संख्या 15 जनपद सुलतानपुर
जी आदि साठवाड सं- सन 2020 ई०

1- एक संख्या 1 पुराना नम्बर 349 साकेत में से नया नम्बर 1384 साकेत शाहपुर साकेत डीए परगना भीरानपुर बहेरी जिला सुलतानपुर बहेरी दिल्ली कब्जा।
2- एक संख्या 2 पुराना नम्बर 1333 में से नया नम्बर 1336 साकेत विकीरा परगना भीरानपुर बहेरी जिला सुलतानपुर बहेरी दिल्ली कब्जा।

पत्र का धारा 1 ता 11 मेरे निजी ज्ञान से सही व सच है । धारा 12 व याचना को सही होने में बिश्वास करती हूं इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और न कुछ झूठ है खुदा मेरी मदद करें तसदीक मुकाम दीवानी अहाता जनपद सुलतानपुर

तसदीक दिनांक 27.8.20
31/8/20

जनपदवादिनी

द्वारा

[Signature]
अधिवक्ता
27.8.20

दिनांक

31/8/20

341/5

है उस पर किसी प्रकार से न तो हस्तक्षेप करें न ही बर्बाद करे न ही उसको किसी के पक्ष में विक्रय करें और न ही कोई ऐसा कार्य करे जिससे वादिनी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के कब्जा व दखल उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत पैदा हो ।

(ब):- खर्चा मुकदमा वादिनी को प्रतिवादी संख्या 1 से दिलाया जावे ।

(स):- अन्य याचना जो वादिनी को खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 न्यायालय उचित समझे प्रदान करें ।

सराहत जायदाद निजाई मकान नम्बर 563 चौहददी उत्तर मुमताज अली, दक्षिण- दिलावल अली, पूरब- खेत अजय कुमार व चकरोड, पश्चिम- हाजी सदर ।

प्रार्थिनी:-

मैं वादिनी स्वयं तसदीक करती हूँ कि वाद पत्र की धारा 1 ता 11 मेरे निजी ज्ञान से सही व संच है । धारा 12 व याचना को सही होने में बिश्वास करती हूँ इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और न कुछ झूठ है खुदा मेरी मदद करें तसदीक मुकाम दीवानी अहाता जनपद सुलतानपुर

तसदीक दिनांक 27.8.20
अनवरी 28.8.20

अनवरीवादिनी

द्वारा

[Signature]
अधिवक्ता
27.8.20

दिनांक


अनवरी

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (फ़ाइल नं०) कक्ष संख्या 15 जनपद सुलतानपुर
अनवरी - बन्नाम- दिलावल अली आदि सा०वा० सं०- सन 2020 ई०

प्राधान्य: मा/मा (५० वर) का प्रमाणित प्रमाण

३५/६

अनवरी




दिनांक


मा/मा

१२०

दिशा



समशा-नजरा



खेजरा मार्ग

प्राधान्य ५० वर (५० वर) का प्रमाणित प्रमाण
अनवरी - दिनांक

दिनांक अनवरी

कांरा अनवरी

अनवरी

प्राधान्य

अनवरी

वादीव

अनवरी

अनवरी

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं०-15
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या- 962/20

(अवकाश)

बनाम

रिजवा

दिनांक 20/8/20

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत हुआ ।
अवलोकित । अंगीकरण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो ।

आदेश

मूलवाद के रूप में पंजीकृत हो । वाद दिनांक 25/8/20 को
वास्ते बयान तहरीरी एवं दिनांक 06/09/20 को वास्ते बिरचित किये जाने
वादविन्दु पेश हो । विपक्षी को सम्मन जारी हो वादी पैरवी तीन दिन में करे ।

सिविल जज(प्रवर खण्ड),
कक्ष सं०-15 सुलतानपुर

5ग2 प्रार्थनापत्र हुकुम इस्तिनाई चन्द्ररोजा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2
जा०दी० ।

6ग2 शपथपत्र ।

7ग2 प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा०दी० प्रस्तुत किया
गया ।

कमलेश प्रताप को नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जाश हा।

वादायुक्त उभयपक्ष को सुचित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या
गया नवशा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

22/8/20
(मंजीम कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं०-15
सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या-962/2020


अनवरी-----बनाम-----दिलावर आदि।

दिनांक-28.08.2020

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादिनी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादिनी विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षी रूप से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादिनी द्वारा वाद भूमि दर्शित अक्षर अ, ब, स, द नक्शा वाद पत्र को अपने पति व जेठ प्रतिवादी संख्या 02 ता 04 की कमाई से निर्मित मकान होना कहा है और कथन किया है कि उसका पति व जेठ साउदिया में कमाते हैं एवं प्रतिवादी संख्या 03 बाम्बे में अपना इलाज करा रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 काफी अय्यास किस्म का व्यक्ति है। उसकी नियत वादिनी के प्रति गलत है वह लगातार धमकी दे रहा है कि यदि वादिनी उसकी बात नहीं सुनेगी तो उसे घर से निकाल दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य परिवार रजिस्टर की नकल कागज संख्या 11ग1/1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित मकान जैतून बीबी के नाम दर्ज है। वादिनी ने संशय कथन किया है कि वह प्रतिवादी संख्या 01 की बहू है। ऐसे में यदि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादिनी को जबकि उसका पति व देवर विदेश में है गलत तरीके से घर से निकाल दिया जाता है तो वह बेघर हो सकती है। ऐसे में वाद भूमि के वास्तु वादिनी का प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है। अतः ऐसे में यदि अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं किया जाता है और प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादिनी को घर से बेघर कर दिया जाता है तो इससे वादिनी का दावा दायर करने का मकसद ही विफल हो जायेगा। अतः अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उभय पक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे वाद विवादित मकान दर्शित अक्षर अ, ब, स, द नक्शा वाद पत्र पर नियत दिनांक तक यथास्थिति बनाये रखें एवं वादिनी को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए अवैध तरीके से बेदखल न करें। वादिनी आदेश 39 नियम 3 सि0 प्र0 सं0 का अनुपालन करें। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित किया जाता है। पत्रावली वारंते निस्तारण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 28.09.2020 को पेश हो।


(संदीप कुमार)


सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0-15
सुलतानपुर।

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। वादायुक्त कमलेश प्रताप को नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उभयपक्ष को सुचित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या पत्र नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।


(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0-15
सुलतानपुर।

क्रमांक 105

टी 8001
विशेष 8-4 PV
उद्योग माया
कारि
वाक विभाग
06/10

06-10

पुनारवा वाकिने-2 (अधिकारकर्ता)
10 वर 10 वर 10 वर 10 वर 10 वर
9 वर 9 वर 9 वर 9 वर 9 वर
आमजल वाकिने काट प्रकृत
किमान 1-
10 वर 10 वर 10 वर 10 वर 10 वर
आमजल वाकिने काट प्रकृत
किमान 1-
दि - 06-10-20 को वाकिने
निष्काट प्रकृत 10 वर 10 वर
त-प्रभाकी

C-10-15

टी 8001
पुनारवा PV
उद्योग माया
कारि
वाक विभाग
06.10.20

09/11

09/11

पुनारवा वाकिने-2 (अधिकारकर्ता)
अधिकारकर्ता, वरतमान
पुनारवा उद्योग माया-2
अधिकारकर्ता काट प्रकृत
निष्काट प्रकृत 10 वर 10 वर
आमजल वाकिने काट प्रकृत
किमान 1-
दि - 09-11-20 को वाकिने
आमजल वाकिने काट प्रकृत
त-प्रभाकी

C-10-15

09-11-20 - पुनारवा वाकिने-2 (अधिकारकर्ता)
दि - 21-11-20 को वाकिने
आमजल वाकिने काट प्रकृत
किमान 1-
दि - 21-11-20 को वाकिने
आमजल वाकिने काट प्रकृत
किमान 1-
त-प्रभाकी

C-10-15

21
11
20
21-11

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कोर्ट नं०-15, सुलतानपुर।
मूल वाद सं०- 962/2020

अनवरी ————— वनाम ————— दिलावर।

दिनांक 09.12.2020

वाद पुकारा गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रार्थनापत्र 10क2 पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थनापत्र 10क2 वादी की ओर से अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा०दी० इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में कुछ कानूनी व वाक्याती कमी रह गयी है जिसे जरिये तरमीम वादपत्र में लाया जाना आवश्यक है। अतः संशोधन की अनुमति दी जाय।

प्रार्थनापत्र उपरोक्त से विरुद्ध न तो कोई आपत्ति दाखिल की गयी है और न ही आपत्ति हेतु कोई उपस्थित भी है।

प्रस्तावित संशोधन के द्वारा वादिनी वादपत्र में एक नयी वंशावली समाहित करने के साथ सराहत जायदार में विवादित सम्पत्ति का स्पष्ट विवरण अंकित करना चाहती है। मामले में प्रतिवादी उपस्थित नहीं है। वाद अभी प्रारम्भिक स्तर पर है। प्रस्तावित संशोधन से वादी न तो कोई नया केस रख रहा है और न ही वाद की प्रकृति बदल रही है। प्रस्तावित संशोधन वाद के गुण दोष के आधार पर उचित न्यायनिर्णयन हेतु आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। न्यायहित में प्रार्थनापत्र 10क2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 10क2 स्वीकार किया जाता है। वांछित संशोधन अबिलम्ब हो। पत्रावली वास्ते प्रतिवादपत्र/नि० प्रार्थनापत्र 5ग2 हेतु दिनांक 07.01.2021 को पेश हो। वाद संशोधन वादी प्रतिवादीगण पर सम्मन की तामील हेतु आवश्यक पैरवी अबिलम्ब करे। टी०आई०नियततिथि तक स्वीकृत।

07.12.20
सिविल जज (प्रवर खण्ड)
कोर्ट नं०-15, सुलतानपुर।

5/02
07-01-21

पुकारा पर वादी उपस्थित
अधिवक्ता उपस्थित
कारण कार्य से निरस्त है।
दि- 24-02-21
वादी को 5ग2 के अर्थ में
T-1 पुकारा

C-4015

निवासी है और प्रतिवादीगण भी इसी पते के स्थायी निवासी है और

367/20

09

12

9/11/20 पोखरा

कोष 9-12-20 का
पत्रिका त. प्र. कार्यालय

UN/10

9/12

9/12

09-12-20
pa

07/01/21

21

11

20

9/11

15-21-11-2020 का
कोष - 5 मन्त्र 1092
कोष त. प्र. कार्यालय

0570 - 962/20

7.1.
13
05
20

13/5

2.11.02-21

जुमना पाकिस्तान

उपस्थित दि - 13-05-21

कोलाबे डायरी (मन्मथ)

जि. पु. म. के)

C. Fortis

13.5.21

GD

23.8.21

Covid-19

निवारणी है और प्रतिवादीगण भी इसी पते के स्थायी निवारणी है और